अपर सचिव Aditi Das Rout Additional Secretary



D.O. No.CD-III-17/11/2021-CD-III (e 96766)

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMEN SHASTRI BHAWAN NEW DELHI-110 001 (INDIA) Ph.: 91-11-23388442

E-mail: adrout@nic.in

Dated, the 15<sup>th</sup> June, 2022

Dear Chief Severy,

I would like to invite your attention to this Ministry's letter of even number dated 30.11.21 (copy enclosed) whereby States/UTs were requested to complete the exercise of uploading all beneficiary data in Poshan Tracker by 15.12.2021.

- I would like to inform you that allocation of funds under SNP and Foodgrains under WBNP will be made on the basis of number of Aadhaar authenticated beneficiaries available in the Poshan Tracker only from the current Financial Year onwards.
- Hence, I would like to request you to ensure that the exercise of updating the Aadhar seeding of beneficiary data in the Poshan Tracker is completed immediately, by 15th July 2022 positively.

(Aditi Das Rout)

Chief Secretaries of all States/UTs

Copy to

- Secretaries/Secretaries of all States/UTs dealing Principal Anganwadi Services Scheme
- 2. Directors/Commissioners of all States/UTs dealing with Anganwadi Services.

1



## निदेशालय, बाल विकास सेका एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक / बाठविठपरिठ / पोठ एवं स्वाठ / 2022-23, दिनांक : १ जून, 2022 समस्त जिला कार्यकम अधिकारी / प्रमारी, उत्तर प्रदेश।

विषय:-पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों के आधार सीडिंग के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशास0पत्र संख्या-सीडी-।।।-17/11/2021-सीडी-।।। (ई-96766), दिनांक 15 जून, 2022 (प्रित संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि डब्ल्यूबीएनपी योजना के अन्तर्गत अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आधार प्रमाणीकृत लाभार्थियों की संख्या के आधार पर बजट व खाद्यान्न का आवंटन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों के आधार सीडिंग का कार्य 15 जुलाई, 2022 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि पोषण ट्रैकर में पंजीकृत समस्त श्रेणी के लामार्थियों का आधार फीडिंग कराने के साथ ही जिन लामार्थियों के आधार अब तक नहीं बने हैं, उनका आधार बनवाते हुए पोषण ट्रैकर में अंकित कराया जाये। किसी भी दशा में पोषण ट्रैकर में लाभार्थी के स्थान पर उनके अभिभावक आदि का आधार नम्बर न अंकित किया जाये।

अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रमके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 के द्वितीय त्रैमास के आपूर्ति निर्देश प्रोषण ट्रैकर में आधार सीडेड लाभार्थियों के आधार पर ही निर्गत किया जाना है। अतः विशेष प्राथमिकता के आधार पर अवशेष लाभार्थियों का आधार बनवाते हुए पोषण ट्रैकर में 15 जुलाई, 2022 तक फीड कराना सुनिश्चित करें। यदि पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थियों का आधार फीडिंग न होने के कारण कम लाभार्थियों के लिए अनुपूरक पुष्टाहार का आपूर्ति निर्देश निर्गत होता है तो इस हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

(डा० सारिका मोहन) निदेशक

पृष्ठांकन संख्या १५,5-68 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ०प्र० शासन, लखन्छ।
- 2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।

(डा० सारिका मोहन) निदेशक